नहीं चलेगा सेम ऐज लास्ट ईयर पटना, जागरण ब्यूरो : मंत्रियों के बाद अब अफसर व अन्य समूह के सरकारी कर्मियों की संपत्ति का पूरा विवरण वेबसाइट पर डाले जाने की तैयारी चल रही है। सरकारी लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी संपत्ति का पूरा ब्योरा देना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के बिहार कैडर स्थित अफसरों को 31 जनवरी तक हर हाल में अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करा देना है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा यह लिखकर भेज दिया जाता है कि नो चेंज या फिर सेम ऐज लास्ट इयर। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह के बदलाव नहीं रहने की स्थिति में भी पूरा विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्मेट में ही देना है। फार्मेट से अलग किसी तरह की विवरणी स्वीकार नहीं की जायेगी। सरकार के अन्य कर्मियों की संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किए जाने की तैयारी भी आरंभ हो गयी है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह हिदायत दी गयी है कि वे वर्ग क , ख एवं ग के कर्मियों की सूची तैयार रखें। राज्य सरकार के जितने भी लोक उपक्रम हैं उनके अधीन कार्यरत कर्मियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया जायेगा। बीस जनवरी तक लोक उपक्रम कर्मियों की संपत्तियों का ब्योरा प्रशासनिक सुधार मिशन को भेज दिया जाना है। इस बारे में उन विभागों के प्रधान सचिव को यह कहा गया है कि वे अपने अधीन पड़ने वाले निगमों को इस बारे में निर्देश भेजें।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति